न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
29 / 2025	17.06.2025	22-5-2026

प्रभाती पुत्र सुन्दर, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वी पुत्र मूला, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. भोला पुत्र मूला, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. साबूती पुत्री मूला पत्नी पप्पू, माली निवासी थूमा खेडा तह0 सपोटरा
4. मीरा पुत्री मूला पत्नी विजय, माली निवासी मिर्जापुर गंगापुर सिटी
5. उमेश पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. गोपाल पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
7. मुकेश पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
8. मन्नू पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
9. शिवराज पुत्र रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
10. सतानंद पुत्र रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
11. छोट्या पुत्र रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
12. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
13. एचडीएफसी बैंक लिमि0 शाखा सवाई माधोपुर —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री दिनेश डांस, एड. अप्रार्थी 1,2,5 ता 9 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 49 रकबा 0.54 है0 ग्राम जाट बडौदा मे स्थित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि मे मुख्य रोड से आने जाने के लिए निकटतम व सुलभ रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर होकर ख0न0 41, 39 व आगे ख0न0 40 मे होकर है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए 15 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। इसके लिए प्रार्थी डीएलसी दर से कीमत अदा करने का तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

पखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है कि तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थी को रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 99, 228, 165, 61 ग्राम जाट बडौदा, डीएलसी दर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 11, 12 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ता 9 की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 41 मे रिकॉर्डेड कोई रास्ता नही है किन्तु प्रार्थी परभाती व उसके पुत्रो बाबूलाल, बत्तीलाल, विजय द्वारा अप्रार्थीगण मूलराम, भोला, पिरथी उर्फ पृथ्वीलाल के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड गंगापुर सिटी में दिनांक 05/04/2013 को एक दावा बावत् स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा, मुकदमा नम्बर 45/2014 उनवानी परभाती वगैरहा बनाम मूलाराम वगैरहा कथित रास्ते के सम्बन्ध में किया गया। जो कि न्यायालय ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी में अन्तरित होकर दिनांक 21/05/2022 को फैसल हुआ। उक्त दावे के फैसले की कगार पर उभय पक्षो मे उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे लिखित में राजीनामा हो गया। जिसकी लिखावट 500 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 15/07/2022 को उक्त दावे के वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बकायदा निष्पादित की गयी जिस पर सभी पक्षो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये एवं बतौर गवाहान कमलेश व रजनीश ने भी अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा उक्त राजीनामे की लिखावट को श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा नोटेरी पब्लिक से अटस्टेट भी करवाया गया। उक्त राजीनामा जिसमें प्रथम पक्ष प्रभाती व उसके पुत्र बाबूलाल, बत्तीलाल, विजय सिंह तथा द्वितीय पक्ष पृथ्वी व भोला के मध्य निम्न प्रकार किया गया।

(अ) यह कि खसरा नम्बर 41 जो द्वितीय पक्ष की खातेदारी मे दर्ज है खसरा नम्बर 41 की उत्तरी डो के सहारे द्वितीय पक्ष 10 फिट चोडा रास्ता प्रथम पक्ष के खेत तक जाने के लिए छोडेगें जो पूरव से पश्चिम की जायेगा। इसमें को ही पक्षकार अपने मवेशी, वाहन ला वले जा सकेगें लेकिन कोई भी पक्ष इस रास्ते में कोई रुकावट या व्यवधान पैदा नहीं करेगा।

(ब) यह कि प्रथम पक्ष के खेत में द्वितीय पक्ष की 4 एयर जमीन भी थी उस जमीन को द्वितीय पक्ष ने छोड़ दिया है तथा 4 एयर जमीन खसरा नं0 49 के सहारे 22 फिट चौडाई में द्वितीय पक्ष के लिए छोड़ दी है जिस प्रथम पक्ष द्वारा छोड़ी गई उपरोक्त 22 फिट चौडी खेत की चौडाई तक छोडी हुई भूमि

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

को जो 4 एयर है वह भूमि द्वितीय पक्ष ने अपने खेत खसरा नं0 41 में मिला ली है। इस प्रकार से प्रथम पक्ष की भूमि मौके पर पचास एयर है व इसी प्रकार द्वितीय पक्ष की भूमि भी मौके पर 50 एयर है। सरकारी रिकार्ड में प्रथम पक्ष की 54 एयर भूमि दर्ज है जबकि मौके पर व वास्तव में उसकी भूमि 50 एयर ही है। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष की भूमि रिकार्ड में 46 एयर है वह मौके पर 50 एयर ही विद्यमान है। इस रिकार्ड की दुरूस्ती दोनों पक्ष सहमति से अदालत से करा लेगें या 4 एयर की भूमि की रजिस्ट्री प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के खर्चे से उनके हक में करा देगें। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कहने पर जब भी भविष्य में 4 एयर जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो जमीन में उपरोक्त 10 फिट चौड़े रास्ते का उल्लेख किया जायेगा एवं छोडे गये रास्ते में प्रथम पक्ष अपने खर्चे से पक्का कराता है तो द्वितीय पक्ष की आसपास की भूमि को खराब नही करेगा। व द्वितीय पक्ष को रास्ता निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा दोनों ही पक्ष उस 10 फिट चौडे रास्ते का समान रूप से उपयोग उपभोग कर सकेंगें किन्तु कोई भी रास्ते में अतिक्रमण या रूकावट पैदा नहीं करेगा।

(स) यहकि द्वितीय पक्ष व प्रथम पक्ष की शामलाती का एक कुआं है जिसका मुल्याकंन 60,000/—रू० किया गया। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के आधे हिस्से की कीमती 30 हजार रूपये आज दिनांक 15. 07.2022 को द्वितीय पक्ष को अदा कर दी है। इस प्रकार से भविष्य में उक्त कुऐं से द्वितीय पक्ष का कोई स्वामित्व, हिस्सा या कब्जा नहीं रहेगा।

(द) यहकि प्रभाती बनाम मूल्या माली जो दावा खारिज हो गया है उसमें अब कोई भी पक्ष आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा।

उपरोक्तनुसार भूमि खसरा नम्बर 41 मे होकर 10 फिट चौडा रास्ता रखा जाना उक्त राजीनामे अनुसार तय हुआ है। इसलिये खसरा नम्बर 41 जो कि मूला पुत्र हरपाल के पुत्रो मिनजबावदार संख्या 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त मे है मे से 10 फिट चौडा रास्ता प्रार्थी द्वारा लेने की एवज मे अप्रार्थी मूला को उक्त रास्ते के लिये छोडी गयी जमीन के रकवे अनुसार प्रभाती से भूमि दिलवायी जाने की शर्त पर केवल 10 फिट चौडाई का रास्ता देने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पृथ्वीलाल व भोला पिसरान मूला सहमत है। खसरा नम्बर 39 रकवा 0.17 है0 अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 10 की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिनकी भूमि में से प्रार्थी सायल परभाती प्रार्थना पत्र मे वर्णित अनुसार जिस चौडाई में व जितनी लम्बाई मे व कुल जितने क्षेत्रफल मे रास्ते के लिये भूमि की मांग कर रहा है उसके एवज मे उतनी ही क्षेत्रफल की भूमि प्रार्थी परभाती अपनी भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 5

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

ता 10 को भूमि हस्तान्तरित करे। एवं जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित प्रस्तावित स्थान पर होते हुये अर्थात् खसरा नम्बर 39 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे लगवां खसरा नम्बर 41 की उसकी उत्तरी अर्थात् खसरा नम्बर 39 की तरफ के सहारे सहारे जाकर दक्षिण मे मुडकर खसरा नम्बर 41 मे ही उसकी पूर्वी डोल के सहारे सहारे खसरा नम्बर 49 तक होते हुये विपक्षी संख्या 5 ता 10 रास्ता देने को रास्ते की भूमि के एवज मे भूमि आदान प्रदान की शर्त पर सहमत है। इस मद मे वर्णित रास्ता 10 फिट चौडाई का ही होना उपरोक्त राजीनामे अनुसार तय हुआ है। 15 फिट चौडा रास्ता तय नही हुआ है और ना ही मौके पर मौजूद है। प्रार्थी मनमर्जीपूर्ण तरीके से कथित रूप से 15 फिट चौडे रास्ते की आवयश्कता होना बताकर अप्रार्थीगण की बेशुमार कीमती भूमि को बेकार कर अपना नाजायज उद्देश्य सफल करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा इस मद में वर्णित डी.एल.सी. रेट की सारणी की कोई नकल अप्रार्थीगण को उपलब्ध नही करवायी गयी है। नकल उपलब्ध कराने के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा उस बावत् समुचित आंशिक जबाव दिया जावेगा। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थी परभाती ने सिविल न्यायालय में चले उपरोक्त वर्णित सिविल मुकदमा व कथित रास्ते के सम्बन्ध में सम्पादित हुये उक्त राजीनामे के तथ्यो को माननीय न्यायालय से जाबनूझकर छिपाया है। और उनका कतई उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में बदयान्ति पूर्वक जानबूझकर नही किया है। चूंकि उक्त राजीनामे अनुसार 10 फिट चौडाई का रास्ता उपलब्ध कराया जाना ही पक्षकारो मे तय हुआ था। उसके विपरीत जाकर प्रार्थी सायल 15 फिट चौडाई में रास्ता लेने का विधिक अधिकारी नही है। सायल उक्त राजीनामे मे एस्टोप्ड है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/2159 दिनांक 03.11.2025 के साथ पटवारी हल्का, गिरदावर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमे यह अंकित किया है कि यह रिपोर्ट मौके पर जाये बिना तैयार की गई है। स्वयं प्रार्थी प्रभाती ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि मौके पर ख0न0 39, 40, 41 मे होकर रास्ता बना हुआ है और कथित रास्ते का उसके द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है चूकि वास्तविकता भी यही है किन्तु पटवारी हल्का ने प्रार्थी के कहे अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बरों अपनी रिपोर्ट मे दर्शाये अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (सि०मा०)

उक्त खसरा नम्बरों मे रास्ता गलत रूप से बतला दिया है जो नाप लिखी गई है, वह भी मनमर्जी पूर्ण लिखी गई है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा का मूल प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनानुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच लिखित मे उक्त भूमि व रास्ते बाबत राजीनामा हुआ था जिसकी लिखापढी 500/– रूपये के स्टाम्प पर हुई थी। जिससे प्रार्थी एस्टोप्ड है। इसके विपरित जाकर वह गलत रूप से अप्रार्थीगण की बेशकीमती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को बेकार व बर्वाद करने पर आमादा है। पटवारी हल्का ने ख0न0 39 मे गलत प्रकार से प्रस्तावित रास्ता दर्शाया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता होना चाहिए था। पटवारी के दर्शाये अनुसार प्रस्तावित रास्ता होता है तो उससे अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 39 का तिकोना बचा भाग अनुपयोगी हो जावेगा एवं अप्रार्थीगण इस छोटे से भाग मे अपना कृषि कार्य भी नही कर पायेगे। अतः आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि पटवारी हल्का/तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निरस्त फरमायी जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे मे वर्णित कथनानुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने की कृपा करे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थीगण ने फोटोकॉपी राजीनामा दिनांक 15.7.2022 प्रस्तुत की है।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब मे प्रार्थी ने अंकित किया है कि हल्का पटवारी व हल्का गिरदावर अदालत हाजा के आदेश से मौके पर गये थे एवं दोनो ने मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट पर दोनो पक्षों के हस्ताक्षर करवाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 49 के लगवां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर रास्ता बना हुआ है लेकिन अब कुछ दिन पूर्व ही खसरा नम्बर 39 एवं 40 की डौल पर ख0न0 39 के खातेदार उमेश, गोपाल, मुकेश इत्यादि द्वारा रास्ते को रोकने के लिए तारबंदी कर दी है व रास्ता रोक दिया है। हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई है पक्षकारों के मध्यपूर्व मे जो राजीनामा हुआ था। उस राजीनामे से अप्रार्थीगण मुकर गये है एवं राजीनामे की किसी भी शर्त की उन्होने पालना नही की है। इसलिए उस राजीनामे का अस्तित्व काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके मुताबिक भी यदि 15 फिट का रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है तो उसमे भी प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की मूल रूप से आपत्ति यह है कि पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की गई है एवं पक्षकारों के मध्य भूमि व रास्ते के सम्बन्ध मे पूर्व मे राजीनामा हुआ है जिससे प्रार्थी एस्टोप्ड है। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी का यह कहना है कि अप्रार्थीगण राजीनामे से मुकर गये है व उन्होने राजीनामे की पालना नही की है। हल्का पटवारी व गिरदावर की जो मौका रिपोर्ट है उसमे यह अंकित है कि मौके पर मन्नू, उमेश, गोपाल, मुकेश पिता जती, शिवराज, सतानंद पिता रंगलाल, छोटया पुत्र मोहरपाल, मूला पुत्र मोहरपाल उपस्थित थे। उन्हे मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई परन्तु मौके पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिये। इससे यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा रिपोर्ट पर की गई आपत्ति तथ्यहीन है व मान्य नही है।

पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम दूरी का रास्ता ख0न0 144 एवं 36 मे होकर है। इसके अलावा ख0न0 39, 40, 41 मे होकर जा रहे रास्ते का भी उपयोग किया जाता रहा है। अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस मे पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा ख0न0 39 व 41 मे जो रास्ता दर्शाया गया है उसमे ख0न0 39 का कोना पृथक से रह गया है। इस सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब मे साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे जो रास्ता अप्रार्थीगण ने प्रस्तावित किया है उसके अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 49 मे आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना हमारी राय मे उचित है। फलस्वरूप इसी अनुसार प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उनके प्रार्थना पत्र मे वर्णित खातेदारी भूमि ग्राम जाट बडौदा में पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा जबाब के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित स्थान के अनुसार ग्राम जाट बडौदा की भूमि ख0नं0 40 में चौडाई 4 मीटर x लम्बाई 30 मीटर कुल 120 वर्गमीटर (अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरीनक्शे के अनुसार) ख0नं0 39 में चौडाई 4 मीटर x लम्बाई 50

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०)

मीटर कुल 200 वर्गमीटर(अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरीनक्शे के अनुसार), ख0नं0 41 में चौडाई 4 मीटर x लम्बाई 86 मीटर कुल 344 वर्गमीटर नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस एवं जबाब प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से कम की जाकर गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

भूमि ख0नं0 40 की किस्म गैर मुमकिन बाडा है। जिसकी डीएलसी दर 1800000/– प्रति है0 (असिंचित रास्ते के पास) है। इस अनुसार रास्ते मे दर्ज की जाने वाली भूमि 120 वर्गमीटर की राशि 21600/– बनती है। जिसके लिए भूमि ख0न0 40 ग्राम जाटबडौदा की जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 61 मे दर्ज खातेदार के हिस्से अनुसार राशि रू0 21600/– का दो गुना 43200/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

भूमि ख0नं0 39 की किस्म चाही है। जिसकी डीएलसी दर 1600000/– प्रति है0 (सिंचित रास्ते से दूर) है। इस अनुसार रास्ते मे दर्ज की जाने वाली भूमि 200 वर्गमीटर की राशि 32000/– बनती है। जिसके लिए भूमि ख0न0 39 ग्राम जाटबडौदा की जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 228 मे दर्ज खातेदार के हिस्से अनुसार राशि रू0 32000/– का दो गुना 64000/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

भूमि ख0नं0 41 की किस्म बारानी है। जिसकी डीएलसी दर 1200000/– प्रति है0 (असिंचित रास्ते से दूर) है। इस अनुसार रास्ते मे दर्ज की जाने वाली भूमि 344 वर्गमीटर की राशि 41200/– बनती है। जिसके लिए भूमि ख0न0 41 ग्राम जाटबडौदा की जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 165 मे दर्ज खातेदार के हिस्से अनुसार राशि रू0 41200/– का दो गुना 82400/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है।

चूंकि अप्रार्थीगण ने अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराए है। अतः उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के डी.डी. प्रार्थी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित खातेदारों के नाम बनवाकर भुगतान हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)